राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

आदेश क्रमांक :– विपणन / 2022–23 / 336 दिनांक :21.10.2022

निविदा आमंत्रण सूचना

बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022–23, रामलीला मैदान न्यू गेट जयपुर प्रदर्शनी अवधि दिनांक 01.12.2022 से दिनांक 12.01.2023 हेतु 1. लोहे के फ्रेम निर्मित और गोल डोम, गेट, कवर स्टॉल, स्टेज, थीम पवैलियन, फूडजोन स्थल और विद्युत कनैक्शन एवं डेकोरेशन लाइट और उद्घाटन एवं समापन समारोह व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएँ इत्यादि हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाताओ द्वारा निविदा राज्य के प्रोक्यूमेन्ट पोर्टल (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) पर एवं विभाग की वेबसाईट rajkhadi.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN______________________

NIB ______________________

21/10/22

सचिव

Marketing 1

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
गोकुलभाई भट्ट स्मृति भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302017
Ph.No.0141-2705935 Fax No.0141-2706510
Email : khadijpr@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रा.खा.ग्रा.बो. / विपणन / 2022–23 / 335 दिनांकः– 21/10/22

ई–निविदा आमंत्रण सूचना -05

सचिव राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा राष्ट्रस्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी वर्ष 2022–23, रामलीला मैदान न्यू गेट जयपुर में अवधि दिनांक 01.12.2022 से दिनांक 12.01.2023 तक टैन्ट–डोम–विद्युत एवं अन्य व्यवस्थार्थ इत्यादि कार्यो हेतु निम्नांकित विवरण अनुसार ई–बोली आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	बिड सिक्योरिटी (रु.)	बिड प्रपत्र शुल्क (रु.) + 18 प्रतिशत जी.एस.टी	RISLप्रोसेसिंग शुल्क (रु.)
1.	1. लोहे के फ्रेम निर्मित 2 गोल डोम, गेट, कवर स्टॉल, स्टेज, थीम पवैलियन, फूडजोन स्थल। 2. विद्युत कनैक्शन एवं डेकोरेशन लाइट 3. उदघाटन एवं समापन समारोह व्यवस्था 4. अन्य व्यवस्थाएँ – **Annexure "A"**	35.00 लाख	70,000 / –	1000 + 180 GST	1000 / --

ई–बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि व समय	21.10.2022
प्री–बिड मीटिंग तिथि, समय व स्थान	28.10.2022, 12:15 **PM** बोर्ड कार्यालय
ई–बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	03.11.2022, 01:00 **PM**
बोली प्रपत्र शुल्क, बिड प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी. / बैंकर्स चैक भौतिक रूप से (Physically) बोर्ड कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	03.11.2022, 01:00 **PM**
तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	03.11.2022, 03:00 **PM**

ई–बिड प्रपत्र वेबसाइट https://www.sppp.raj.gov.in. पर देखे एवं विभाग की वेबसाइट **rajkhadi.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है एवं www.eproc.raj.gov.in. पर भी देखा जा सकता है। बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभुति के डी.डी / बैंकर्स चैक, जो डी.डी. अथवा बैंकर चैक, secretary, Rajasthan Khadi & Village Industries Board, (Payable at Jaipur) के नाम तथा प्रोसेसिंग शुल्क जो Managing Director, RISL, Jaipur (Payable at Jaipur) के नाम देय हो, की स्केन की हुई प्रति ई–बोली के साथ अपलोड करना एवं दिनांक 03.11.2022 को दोपहर 01.00 **PM** तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) जमा करना आवश्यक है।

सचिव
21/10/22

ई–टेन्डरिंग के लिए निविदादाताओं हेतु निर्देश :–

1. निविदादाताओं द्वारा बिड इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन जमा करानी होगी।
2. बोली में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इंटरनेट साईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीयन (Registration) करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (टाईप II या टाईप III) 'सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act 2000) के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक बोली में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाताओं को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर सहित नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे।
3. इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की सुस्पष्ट स्केन की हुई प्रतियां बिड प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन संलग्न की जाऐगी।
4. कोई भी निविदादाता बिड को इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब करता है, तो उसकी जिम्मेदारी सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर की नहीं होगी। अतः निविदादाता उचित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियां प्रस्तुत करें।
5. ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करते समय बोली प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिये सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
6. टेलीग्राम/ फेक्स/ ई–मेल/भौतिक रूप से प्रस्तुत की गई बिड मान्य नहीं होगी।
7. सशर्त बिड मान्य नहीं होगी। बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों एवं स्पेसिफिकेशन्स से भिन्नता (डेवीएशन) वाली बिड मान्य नहीं होगी।

बिड की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :–

1. एक निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा/बिड प्रस्तुत करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
2. निविदादाता/करारकर्ता को भारत के करार एवं कर सम्बन्धी समस्त कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।
3. प्रस्तुत की जाने वाली दरें तार्किक एवं संतुलित होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त करने का अधिकार सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

4. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बोली द्वि भाग (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) होगी।
5. बोली दस्तावेजों एवं कार्यविवरण के स्पष्टीकरण हेतु प्री–बिड मिटिंग का आयोजन कार्यालय सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर में दिनांक 28.10.2022 को दोपहर 12.15 बजे सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर मीटिंग हाल मे किया जायेगा।
6. निविदादाता अपनी दरें BOQ.XLS प्रपत्र (वित्तीय निविदा) में ही प्रस्तुत करें।
7. वित्तीय निविदा के लिए, निविदादाताओं द्वारा निविदा के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BOQ.XLS फाईल को डाउनलोड करना होगा और उक्त टेम्पलेट में बिना कोई संशोधन किए वांछित Cells में विवरण भरना होगा। अगर निविदादाता द्वारा डाउनलोड की गई फाईल में कोई संशोधन करके या छेडछाड करके उस फाईल को अपलोड किया जाता है तो ऐसी स्थिती में निविदादाता फर्म को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
8. यदि बिड खोलने की तिथि को किसी तकनीकी कारणवश ऑनलाइन प्राप्त समस्त बिड नहीं खोली जाती हैं, तो अगले कार्य दिवस को शेष बिड खोलने का कार्य अनवरत रखा जायेगा।
9. तकनीकी आकलन में सफल निविदादाताओं को वित्तीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय की सूचना ऑनलाइन/ई–मेल द्वारा दी जायेगी।
10. दो या अधिक निविदादाता की दरों में बराबरी (Tie in prices) की स्थिति में जिस फर्म के पास अधिक अनुभव होगा वह फर्म अन्तिम रूप से एल–1 मानी जाएगी।
11. निविदादाता द्वारा बिड प्रपत्र शुल्क बिड प्रतिभूति एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु मूल डी.डी./बैंकर चैक भौतिक रूप में (Physically) सचिव राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर में दिनांक 3.11.2022 को दोपहर 1.00 बजे तक बन्द लिफाफे में जिस पर "सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लिये राष्ट्रस्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022–23 हेतु रामलीला मैदान जयपुर में लोहे के फ्रेम निर्मित 2 गोल डोम **1. लोहे के फ्रेम निर्मित 2 गोल डोम, गेट, कवर स्टॉल, स्टेज, थीम पवैलियन, फूडजोन स्थल 2. विद्युत कनैक्शन एवं डेकोरेशन लाइट 3. उद्‌घाटन एवं समापन समारोह व्यवस्था 4. अन्य व्यवस्थाएँ – Annexure "A"** इत्यादि कार्यो हेतु निविदा" तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट अंकित किया हुआ हो, जमा करवाना आवश्यक है। जिन निविदादाताओं द्वारा उक्त दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाये जायेंगे उन्हीं निविदादाताओं की बिड ऑनलाइन खोली जायेंगी। शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	शुल्क विवरण .	राशि	भुगतान का प्रकार
1.	बोली प्रपत्र शुल्क	1000 + 180	डी.डी. अथवा बैंकर चैक, सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (Payable at Jaipur) के नाम
2.	बिड प्रतिभूति	70000/	डी.डी. अथवा बैंकर चैक सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (Payable at Jaipur) के नाम
3.	ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) शुल्क	1000/	डी.डी. अथवा बैंकर चैक, Managing Director, RISL, Jaipur (Payable at Jaipur) के नाम

12. प्रदत्त दरें बिड खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेंगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी बिड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बिड वापस ले लेता है तो उसकी बिड प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।

13. तकनीकी बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :–

14. बोली प्रपत्र शुल्क / बिड प्रतिभूति/ ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) शुल्क के बैंकर्स चैक/ डी.डी. की स्केन की हुई प्रति। वित्तीय बिड (BOQ) की प्रति संलग्न नहीं करनी है। वित्तीय बिड को तकनीकी बिड में शामिल करने पर निविदादाता की निविदा बोली निरस्त कर दी जाएगी। दरें केवल वित्तीय बिड (BOQ) में प्रस्तुत करनी हैं जो ऑनलाईन BOQ में भरी जा सकेंगी। दरें केवल भारतीय रूपये (INR) में प्रस्तुत की जानी हैं।

(I) तकनीकी बोली प्रपत्र मय समस्त अनुलग्नक।

(II) डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त बोली की शर्तें (अपूर्ण भरे हुये टेण्डर–प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं निरस्त कर दिये जायेंगे)।

(III) आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN Card) की सुस्पष्ट प्रति।

(IV) जीएसटी का अद्यतन भुगतान (क्लीयरेंस) एवं पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(V) Annexure-B के अनुसार फर्म राजस्थान राज्य एवं भारत सरकार एवं किसी राजकीय उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र (राशि रुपये ₹100 के स्टाम्प पेपर पर)।

(VI) फर्म द्वारा प्रस्तुत दरो से कहीं अन्य संस्थाओं में कम दर पर फर्म द्वारा कार्य नहीं किया है, का शपथ पत्र लैटरहेड पर संलग्न करना होगा।

15. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार, सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पास सुरक्षित होंगे।

16. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या कोई अन्य त्रुटि पाये जाने बोली को रद्द करने का अधिकार सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को होगा।

17. बिड की शर्तों एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अथवा बोलीप्रपत्र में किसी शर्त या नियम या प्रावधान के अवर्णित पाए जाने की स्थिति में अधिनियम व नियमों में दिये गए प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।

18. राजस्थान सरकार के सा.वि. एवं लेखा नियम एवं बिड के विषय से सम्बन्धित अन्य समस्त नियम एवं एक्ट भी लागू माने जायेंगे।

19. बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी) :

I. बिड के साथ बिड सूचना के अनुसार बिड प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत की दर से प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा जमा करायी जाये।

II. बिड प्रतिभूति का प्रतिदायः असफल निविदादाताओं की बिड प्रतिभूति बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार कर सफल निविदादाता के साथ अनुबंध निष्पादित करने के बाद लौटायी जाएगी।

III. बिड प्रतिभूति से छूट उन फर्मों को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र य उसकी फोटो स्टेट प्रति, जो विधिवत अनुप्रमाणित हो, प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य की 0.5 (आधा) प्रतिशत की दर पर बिड प्रतिभूति जमा करानी होगी। रूग्ण उद्योगों की दशा में (एस. एस. आई. से भिन्न) जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

IV. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बिड प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बिड के साथ बिड प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

20. बोली प्रतिभूति का समपहरण; बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगाः

I. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत उपान्तरित करता है।

II. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

III. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

IV. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/कर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

V. यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

21. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :

I. सफल निविदादाता को दर स्वीकृति की सूचना का पत्र जारी होने की दिनांक से सात दिन या अवधि के भीतर सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के नाम देय डी. डी./बैंकर्स को द्वारा जिन कार्यों के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराकर रूपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

II. राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगम, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व का नियंत्रण या प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे। तथापि, इनको एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

III. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाप की रकम 1 प्रतिशत और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की रकम का 2 प्रतिशत होगी कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने के लिए इन फर्मों को पंजीयन की विधियत अनुप्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

IV. बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।

V. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

VI. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी।

   I. ई.जी.आर.ए.एस. (E-govt Receipt Accounting System) के माध्यम से जमा।

   II. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक।

   III. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्पबचत प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो बोली के समय वे उनके

समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

IV. किसी अनुसूचित बैंक गांरटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गांरटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि कराई जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गमी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधान के लिए पात्र नहीं रह गया है।

V. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (FDR)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियम जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी की बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को सम्बन्धित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

VI. ई.जी.आर.ए.एस. से इतर प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वांरटी बाध्यताओं और रख–रखाव और दोषदायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदागत बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परे 90 दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहनी चाहिए।

VII. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि संवेदक के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं हैं, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा। सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि में से संवेदक की कोई बकाया राशि या पैनल्टी बकाया होगी तो भुगतान के समय काट ली जायेगी।

VIII. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः कार्य सम्पादन प्रतिभूति को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगाः

(1) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(2) जब निविदादाता सम्पूर्ण माल/सेवा सन्तोषजनक ढंग से प्रदाय करने में असफल रहा हो।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएंगा। इस संबंध में क्रेता प्राधिकार/अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

22. करार (Agreement) का निष्पादन :

I. सफल निविदादाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिए जाने के 07 दिवस की भीतर नियमानुसार अवधि के भीतर नियमानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल करार निष्पादित करना होगा।

II. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प शुल्क का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत/छायाप्रति को निःशुल्क दी जायेगी।

III. यदि निविदादाता जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि (07 दिवस के भीतर में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर सफल बालीदाता के विरुद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा। सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर ऐसे में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगा या न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले या सर्वाधित लाभप्रद दर की बोली वाले को स्वीकृति प्रस्ताव दे सकेगा।

23. भुगतान (Payment):– सफल निविदादाता/संस्था द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य निष्पादित कर बिल 3 प्रतियों में मय आवश्यक दस्तावेज बोर्ड कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा संबंधित प्रभारी अधिकारी विपणन/भौतिक सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार भुगतान जारी किया जायेगा।

24. जो निविदादाता तकनीकी बिड में सफल पाये जायेंगे उन्ही निविदादाताओं की वित्तीय बिड वेबसाइट पर खोली जायेंगी। तकनीकी बिड में सफल/असफल निविदादाताओं को ऑनलाइन सूचित किया जायेगा।

25. सत्यनिष्ठ संहिता (Code of Integrity) एवं हित का विरोध (Conflict of interest) के सम्बन्ध में Annexure-A के प्रावधान लागू होंगे।

26. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंगः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

27. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामले को सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को भेजा जाएगा एवं उस विवाद के लिए सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित

किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या प्रदायक द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

28. (i) उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।

(ii) प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष, खादी बोर्ड जयपुर राजस्थान तथा द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, MSME राज.सरकार हैं।

29. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

21/10/22

सचिव
राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :..

पता..

....

....

मोबाईल..

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
खुली निविदा सूचना संख्या :–05/2022–23

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. निविदा कार्य का नाम :– 1. लोहे के फ्रेम निर्मित 2 गोल डोम, गेट, कवर स्टॉल, स्टेज, थीम पवैलियन, फूडजोन स्थल 2. विद्युत कनैक्शन एवं डेकोरेशन लाइट 3. उद्घाटन एवं समापन समारोह व्यवस्था 4. अन्य व्यवस्थाएँ – **Annexure "A"** इत्यादि कार्यो हेतु तकनीकी प्रस्ताव :–

बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का विवरण

फर्म का नाम व पता..

....

ई–मेल..मोबाईल..

क्र.स.	दस्तावेजो का विवरण	बिड के प्रस्तावो मे संलग्न पृष्ठ संख्या
1.	बोली प्रपत्र शुल्क मय जीएसटी :– 1000+ 18 प्रतिशत जीएसटी की रसीद ..../ डी.डी. संख्या...................... दिनांक.................................	
2.	बिड प्रतिभूति का डी.डी.संख्या............. ....दिनांक...........................	
3.	बोलीदता का स्वामित्व का प्रकार (प्रोपराइटरशीप / पार्टनरशीप / कम्पनी)	
4.	निविदादाता फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति	
5.	निविदादाता फर्म का पेन कॉर्ड नंबर **(PAN)**	
6	फर्म का गत तीन वर्ष की वार्षिक टर्नओवर की चाटेर्ड अकाउण्टेन्ट से प्रमाणित प्रति संलग्न करे। वर्ष 2019–20 वर्ष 2020–21 वर्ष 2021–22	
7.	गत तीन वर्षो का वर्षवार टर्नओवर सी.ए. से प्रमाणित है व जिसका औसत 50.00 लाख से कम न हो।	
8.	राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत	

8.	राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी विद्युत लाईसेन्स निविदादाता के नाम का "ए" क्लास विद्युत लाईसेंस की फोटो कॉपी संलग्न करना आवश्यक होगा।	
9.	निविदादाता द्वारा समस्त कार्यो हेतु अपना माल–गोदाम का स्थानीय पते का दस्तावेज	
10.	राज्य सरकार / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक उपक्रमों मे कार्य करने का गत पॉच वर्षो में किसी 03 वर्षो में औसत 30.00 लाख के कार्य अनुभव का आवश्यक दस्तावेज संलग्न करावे।	
11.	फर्म ब्लेक लिस्टेड नही है का शपथ – पत्र **(Annexure-B)**	
12.	फर्म का कार्य को सबलेट नही करने का शपथ – पत्र लैटरहैड पर	

- इस बोली के संबंध में बोली प्रपत्र एवं समस्त शर्तें मेरे हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्त प्रपत्र एवं बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं। मैं/हम ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करूंगा/करेंगे।
- मैं/हम दिवालिया रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासितकार्यकलाप रखूँगा/रखेंगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूँगा/रखेंगे औरन पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होंगे।
- मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किए गया है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूँगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करे।
- मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।
-

दिनांक :–

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

....

....

....

मोबाइल :–

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

खुली निविदा सूचना संख्या05/ 2022–23

वित्तीय बोली प्रपत्र

1. निविदा कार्य का नाम :– 1. **लोहे के फ्रेम निर्मित 2 गोल डोम**, गेट, कवर स्टॉल, स्टेज, थीम पवैलियन, फूडजोन स्थल 2. विद्युत कनैक्शन एवं डेकोरेशन लाइट 3. उद्घाटन एवं समापन समारोह व्यवस्था 4. अन्य व्यवस्थाएँ – **Annexure "A"** इत्यादि कार्यो हेतु।

फर्म का नाम एवं पता :–..

क्र. स.	कार्य विवरण	दर (सभी प्रकार के करों सहित)
1.	1. लोहे के फ्रेम निर्मित 2 गोल डोम, गेट, गेट, कवर स्टॉल, स्टेज, थीम पवैलियन, फूडजोन स्थल। 2. विद्युत कनैक्शन एवं डेकोरेशन लाइट 3. उद्घाटन एवं समापन समारोह व्यवस्था 4. अन्य व्यवस्थाएँ – **Annexure "A"**	दरे यहॉ नही भरनी है पृथक से **BOQ** मे देनी है।

1. उक्त कार्य हेतु निविदा के साथ निविदा अमानत राशि रू. 70,000 (अक्षरे सतर हजार रूपये) का ड्राफ्ट/नकद जमा की रसीद नम्बर .... दिनांक .... संलग्न है एवं सफल निविदादाता के द्वारा 7 दिवस में करार पत्र एवं निविदा राशि के अनुरूप प्रतिभूति राशि 2.5 प्रतिशत निविदा की राशि के अनुरूप का ड्राफ्ट/नकद जमा करवाना होगा।
2. निविदा से संबंधित संलग्न शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है, हमें सभी शर्ते मान्य है।
3. निविदा की सामान्य शर्ते (पृष्ठ 12 से 13 तक) तथा विस्तृत कार्य विवरण (पृष्ठ 14 से 18) आदि का अध्ययन कर लिया गया है तथा मान्य है।
4. समस्त कार्यो की एक मुश्त उक्त दरों में सभी प्रकार के किराया शुल्क/चूंगी/सेवाकर/GST व अन्य सभी प्रकार के कर सम्मिलित है। अलग से कुछ भी देय नहीं होगा।
5. डिमांड ड्राफ्ट सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय होगा।
6. निविदा शुल्क रसीद/डी.डी. संख्या .... दिनांक .... राशि .... की संलग्न है।

संलग्न :– सामान्य शर्ते 1 से 6 व अन्य प्रमाण पत्र आदि हस्ताक्षर एवं मोहर सहित।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पूर्ण पता ....

दूरभाष/मोबाईल न. ....

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
राष्ट्रस्तरीय खादी ग्रामो. प्रदर्शनी 2022–23
निविदा हेतु सामान्य शर्ते

(निविदा सूचना दिनांक 21.10.2022 के साथ सलंग्न सामान्य आवश्यक शर्ते सभी निविदाओं पर लागू होगी। निविदादाता को निविदा भरते समय इन शर्तो एंव विशिष्ट कार्य विवरण को सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए और अपनी स्वीकृति के लिये प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके निविदा के साथ सलंग्न करना चाहिए।)

1. अनुमोदित निविदादाताओं को दिये जाने वाले कार्य की शर्ते, विशिष्ट कार्य विवरणों अनुमोदित नमूना निर्देशों आदि को सावधानीपूर्वक अध्ययन किया हुआ माना जावेगा। निविदादाता को निविदा खोलने से पूर्व **स्टॉलो का ले आउट प्लान बनाकर डिमोस्ट्रेशन** निविदा स्थल पर प्रदर्शनी आयोजन समिति को बताना होगा। यदि कार्य की शर्तो या विशेष विवरणों या ड्राइंग (चित्र व नक्शें) आदि के किसी भाग के अर्थ के बारे में कोई संदेह हो, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रदर्शनी आयोजन समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
2. निविदादाता अपने कार्य या उसके किसी भाग को पूर्णतः/अंशत किसी भी प्रकार अन्य किसी को सबलेट नहीं करेगा। अन्यथा कार्य आदेश निरस्त कर हर्जे खर्चे की वसूली का अधिकार प्रदर्शनी आयोजन समिति को रहेगा।
3. निर्दिष्ट किये गये कार्य को उनके निर्धारित विशेष विवरणों के अनुसार बढिया (उत्तम क्वालिटी) करना होगा। प्रदत्त सामान/सेवा की किस्म के बारे में स्वीकृति प्रदान करने वास्ते प्रदर्शनी आयोजन समिति, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। वह निविदा देने वालो को मान्य होगा। यदि निविदादाता द्वारा प्रदत्त की गई वस्तुऐं/सेवायें अनुमोदित नहीं की जाती हैं। एंव इस प्रकार जो वस्तुऐं रदद् करने से उसको परिवर्तन करने में यदि कोई व्यय या हानि होगी, यह सब निविदादाता को स्वयं वहन करनी पडेगी और इसके सम्बन्ध में पूर्ण हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

7. (1.) प्रदर्शनी आयोजन समिति/सदस्य उचित समयों पर कार्य क्षेत्र में रहेंगे तथा वह सभी उचित समयों पर निरीक्षण करने एंव लगायें जाने वाले माल पदार्थ/सेवा एंव उसकी संख्या/गुणवत्ता व कारीगरी आदि के बारे में जॉच करने की शक्ति रखेंगे। खादी प्रदर्शनी अवधि में खादी प्रदर्शनी स्थल पर निविदादाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी जो टेन्ट, विद्युत आदि व्यवस्था सम्बन्धी समस्या का निदान करेगा।

   (2.) निविदा दाता अपने जयपुर स्थित कार्यालय एवं स्थानीय गोदाम आदि का पूर्ण पता जहॉ सामान का निरीक्षण किया जा सकें और उस व्यक्ति का नाम व पता व मोबाईल नम्बर जिससे इस कार्य हेतु सम्पर्क किया जावें। आवश्यक रूप से देना होगा ताकि प्रदर्शनी आयोजन समिति निरीक्षण कर सके।
8. यदि अनुमोदित क्वालिटी, मार्का, साईज, मापदण्डों से भिन्न माल उपयोग किया जाता है तो वे रदद किये जा सकेंगे तथा बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर तत्काल निविदादाता द्वारा बदलने होंगे यदि कार्य या हित की आवश्यकता के कारण उसमें परिवर्तन करना तत्काल निर्दिष्ट समयावधि में सभंव न हो तो ऐसे माल की राशि उचित रूप से कम कर दी जाएगी और प्रदर्शनी आयोजन समिति द्वारा निश्चित की गई राशि ही अन्तिम भुगतान योग्य होगी।
9. कार्य में लिए जाने वाले सामान को यदि रदद किया जावेगा तो निविदादाता द्वारा तत्काल अनुमोदित सामान की व्यवस्था की जावेगी।
10. सामान के लगाने एंव उत्सव/खादी प्रदर्शनी स्थल पर लगे रहने की स्थिति में खादी प्रदर्शनी उपरान्त वापस ले जाने तक समस्त सामान में टूट फूट, चोरी, आगजनी, बलवा, भूकम्प, बाढ, बारिस या अन्य किसी भी प्रकार के प्राकृतिक/कृत्रिम किसी भी कारण से हुई हानि की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी और वह स्वंय अपने द्वारा प्रदत्त सामान/सेवा की सुरक्षा का प्रबंध करेगा व उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वहन करेगा और इस संबंध में सभी प्रकार के व्यय आदि निविदादाता द्वारा ही स्वंय वहन किये जायेंगे। **प्रदर्शनी का बीमा स्वयं के स्तर से करवाना होगा जिसकी मूल प्रति प्रदर्शनी प्रारम्भ से पूर्व दिनांक 30.11.22 को उपलब्ध करवानी अनिवार्य है।**
11. (1.) सामान को उसके खादी प्रदर्शनी स्थल तक लाने व वापस ले जाने का किसी भी तरह का किराया भाडा, मजदूरी व्यय आदि का वहन स्वंय निविदादाता को करना होगा।

(2.) निविदादाता द्वारा दी गई दरों में किराया एंव निर्माण की लागत तथा सभी प्रकार के मिसलेनियस व्यय और शुल्क/कर आदि सभी के लागत व्यय शामिल होंगे तथा सामग्री निविदादाता को स्वंय अपने खर्चे से लानी व ले जाने होगी।

12. निविदा कार्य पर होने वालों समस्त कार्यों पर लगने वाली किसी भी प्रकार के वर्तमान में लागू अथवा भविष्य में लागू कर, शुल्क आदि के भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की स्वंय की होगी।

13. **खादी प्रदर्शनी स्थल के दो मुख्य द्वार न्यू गेट के पास वाला द्वार एवं एम.आई.रोड़ वालें दोनो द्वार प्रदर्शनी आयोजन समिति के निर्देशानुसार एवं अनुमोदित डिजाईन व प्रकार का अति उत्तम सामान से निर्मित भव्य ट्रस (Truss) निर्मित द्वार बनेगे। ट्रस (Truss) निर्मित द्वार का नक्शा व फोटो ग्राफ निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक हैं** एवं दोनो द्वार के अंदर की तरफ प्रवेश करते ही सजावटी ट्रस्ट द्वार वास्तविक निर्माण प्रदर्शनी आयोजन समिति के निर्देशानुसार करना होगा। डोम एवं ट्रस **(Truss)** निर्मित द्वार का मॉडल/फोटो/वीडियो चयनित नमूने का ही डोम, ट्रस्ट द्वार एवं सजावट करनी होगी।

14. कार्य निर्धारित अवधि मे ही पूर्ण किया जावेगा। दिनांक 30.11.2022 को अर्थात प्रदर्शनी उदघाटन दिनांक 01.12.2022 से एक दिवस पूर्व दोपहर 3.00 बजे तक प्रदर्शनी आयोजन समिति को सफल निविदादाता द्वारा संभलवाना होगा

15. भुगतान हेतु बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने होंगे। भुगतान बिल के साथ आयकर संबंधि औपचारिकताऐं नियमानुसार पूर्ण कर गत वर्ष का चुकारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें एवं स्त्रोत पर कटने वाले आयकर को आयकर विभाग को चुकाने तथा अन्य किसी भी प्रकार के कर (यथा सर्विस टैक्स, सेल्स, परचेज टैक्स,GST आदि सभी सम्मलित है।) के भुगतान की जिम्मेवारी निविदादाता भुगतान प्राप्तकर्ता की होगी। प्रदर्शनी आयोजन समिति व इसके स्टाफ को इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नही होगी।

16- **राष्ट्रस्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022 का आयोजन की अवधि दिनांक 01.12.2022 से 12.01.2023 तक प्रस्तावित है। कार्यकारी एंजेसी को 15.01.2023 तक प्रदर्शनी स्थल को पूर्णतया खाली करके सम्बंधित जोन उपायुक्त, नगर निगम को सपुर्द करना होगा अन्यथा नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार के किराये/शास्ति के लिये कार्यकारी एंजेसी स्वयं जिम्मेदार होगी। किराया/शास्ति एंजेसी की जमा अमानता राशि से वसूल की जावेगी।**

17- **स्टॉल मे आवंटित सामान के अतिरिक्त, यदि कोई स्टॉलधारक द्वारा अतिरिक्त सामान यथा फर्निचर/लाईट की मॉग की जाती है तो वह सामान प्रदर्शनी आयोजन समिति द्वारा अनुमोदित दर पर उपलब्ध करवाया जावेगा।**

18. खादी प्रदर्शनी आयोजन का सभी कार्य प्रदर्शनी आयोजन समिति के निर्णयानुसार कराया जाएगा। अंकित कार्य की मात्रा में प्रदर्शनी आयोजन समिति द्वारा कमीबेशी आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

19. निविदादाता व आयोजक के मध्य किसी भी विवाद का निपटारा आरबीट्रेशन द्वारा किया जावेगा, जिसके लिए सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर एकल आरबीट्रेटर होंगे और उनके द्वारा दिया गया आरबीट्रेशन दोंनो पक्षों को मान्य होगा।

20. निविदादाता व आयोजक खादी प्रदर्शनी के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे का न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

21. RTPP Act 2012 व RTPP नियम 2013 के समस्त उपबंध लागू होगे।

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का हमने अध्ययन कर लिया हैं व उक्त सभी शर्ते स्वीकार है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार/प्राप्त निविदाओं में किसी भी निविदा को स्वीकार करने/अन्य को कार्याआदेश देने का अधिकार, सचिव, खादी बोर्ड जयपुर का होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पूर्ण पता ....

मोहर. ....

दूरभाष/मोबाईल न. ....

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
राष्ट्रस्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022–23
निविदा दिनांक 21.10.2022 के कार्य का विस्तृत विवरण

I डोम (गोल)/लोहे के फ्रेम निर्मित डोम/गेट, स्टेज, फैशन शो स्टेज, सांस्कृतिक स्टेज आदि टैन्ट संबंधित निर्माण इत्यादि कार्य :–खादी प्रदर्शनी स्थल, रामलीला मैदान, जयपुर में 65X180 वर्गफीट के लोहे के फ्रेम के 2 गोल डोम का निर्माण, स्टॉल 3 X 3 वर्ग मीटर और आदेशित साईज की लगभग 120 (एक सौ बीस) स्टॉल निर्माण करनी होगी। 140 तक स्टॉलों का निर्माण प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार किया जा सकता है। स्टॉलों की संख्या में कमी बेशी की जा सकेगी, जिसका पृथक से कोई राशि/शुल्क देय नही होगा। निर्मित स्टॉलो का 4 इंच ऊँचा प्लेटफार्म नई मैटिंग से कवर व प्लाईबोर्ड का निर्मित होगा। स्टॉलो के सामनें फ्रेम तैयार कर प्लाई का फेसियां आक्ट्रोनम स्टॉल सेक्शन व एल्यूमिनियम सामानान्तर श्रेणी में लगाना होगा जिस पर दुकान नम्बर व आवंटित सस्था/समिति/ईकाई का नाम आदि का फ्लेक्स बेनर लगाना होगा। स्टॉल, 2 गेट, स्टेज, स्टेज सजावट विद लाईटिग, थीम, पवेलियन, पार्किंग, फूड जोन आदि निमार्ण संलग्न विवरण के अनुसार तैयार करने होंगे। 20X20 फीट का स्वागत कक्ष मय बाथरूम एंव 15X10 का खादी प्रदर्शनी कक्ष कार्यालय प्लाईबोर्ड का जिसमें अन्दर उत्तम क्वालिटी का सफेद कपडा/खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार लगाना होगा। अति उत्तम क्वालिटी के 2 सीटर 4 सौफे एवं एक सौफा 5 सीटर (3+1+1 का), 4 टेबिल (सेन्टर टेबल मय सफेद कवर 3X2 फुट) (कवर दैनिक बदले जायेंगे) मय कारपेट से पूरा लकड़ी का फर्श कवर करना होगा। स्वागत कक्ष एंव ऑफिस का निर्माण एंव साज सज्जा खादी प्रदर्शनी समिति 2022–23 की संतुष्टि व निर्देशानुसार करनी होगी। थीम पवेलियन 200 एंव फूड जोन 500 स्क्वायर फीट अन्दर चारो तरफ नया सफेद कपड़ा एवं नीचे नई मैटिग व चार इंच ऊचा प्लेट फार्म टीनशेड द्वारा वाटरप्रूफ बनानी होगी। तथा इसकी बनावट एंव सजावट खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार करनी होगी। थीम पवेलियन व (रामलीला मैदान के स्टेज पर) फूडजोन का प्लेटफार्म स्टॉलो के अनुरूप ही तैयार कर देना होगा। सभी निर्माण कार्य वाटर प्रुफ होना चाहिए। स्थल के चारो ओर आवश्कतानुसार जी.आई.शीट लगानी होगी। अतिथि कक्ष एंव स्टाफ के लिए स्वच्छ पीने का पानी मय कैम्पर 10–12 लीटर कन्टेनर के प्रतिदिन आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाना है एवं प्रदर्शनी मे भाग लेने वाली प्रत्येक संस्था/समिति एवं ईकाईवार एक 15 लीटर तक पानी कैम्पर प्रतिदिन पेयजल हेतु उपलब्ध करवाना होगा। कार्यालय दो भागो मे बनाया जावेगा जिसमें अंदर 10X10 वर्ग फीट के कक्ष में दो तख्ते मय बिस्तर, चादर, तकिया, 3 रजाई के साथ लगवाना होगा। कार्यालय के बाहर के कक्ष 10X10 वर्ग फीट हेतु बडी लोहे की अलमारी, चार टेबिल एंव दस कुर्सियां वी.आई.पी. मय कवर उपलब्ध करवानी होगी। 20 नग डस्टबीन (ढ़क्कनदार) सफाई व्यवस्था हेतु (अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक फाईबर) उपलब्ध करवाने होगें। निर्मित स्टॉल निमार्ण, स्टेज इत्यादि सभी कार्य जो निविदा में अंकित है जिनकी दरें चाही गई है वह सभी कार्य दिनांक 30.11.2022 कों सॉय 4:00 बजे तक पूर्ण कर खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी समिति को संभलवाना होगा।

इन सभी निमार्ण कार्यो का ले आउट प्लान स्केल (खादी प्रदर्शनी स्थल के अनुसार) प्रदर्शनी समिति से अनुमोदन करवाना होगा।

1. खादी प्रदर्शनी के 2 मुख्य द्वार खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार एवं अनुमोदित डिजाईन अनुसार अति उत्तम सामान से निर्मित भव्य ट्रस्ट निर्मित द्वार बनेगा। मैदान मे साईड में एंव सामने सड़क पर फुटपाथ की तरफ 20 नग पोल 10 फीट के मय सिल्क झण्डे (न्यूनतम 3X2 फीट) के विभिन्न रंगो के लगाने होंगे। झण्डों की साईज खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार होगी। दक्षिणी द्वार से मंच तक ट्रस्ट गेट 60X20 चौडे रास्ते की तरफ व 50X20 वर्ग फीट के ट्रस्ट का निर्माण। मंच के सामने एवं डोम के मध्य के स्पेस पर आकर्षक डिजाईन से साज–संज्जा।
2. उद्घाटन, समापन समारोह एंव सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रमों, फैशन शो आदि के लिए उचित स्थान पर खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार टैन्ट के सामान से स्टेज पर साज सज्जा, नेचुरल एवं आर्टीफिशल फ्लावर टेबिल, कुर्सी, पर्दे, आर्कषक पाईप, पाण्डाल कवरिंग व कनात सहित (एक समय में 200 अतिथियों हेतु) अन्य

सामान जैसे बढिया नये सौफे, वी.आई.पी. चैयर, खादी प्रदर्शनी स्थल पर रेड मेटिंग, दरी फर्श, कालीन (स्टेज तथा स्टेज के सामने नीचे बैठने के स्थान पर) माईक, डायस आदि की व्यवस्था करनी होगी।

3. प्रत्येक स्टॉल पर काउन्टर हेतु 2 टेबिल मय कवर साईज 2' X 5' फीट वाली, 2 कुर्सिया, प्लास्टिक बेस की मय सफेद कवर देनी होगी। अन्य सामान आवश्कतानुसार यथासमय स्टॉलधारियों की मांग पर उपलब्ध कराना होगा,
4. खादी प्रदर्शनी स्थल में स्टॉलो के सामने रास्ते में, उद्घाटन व समापन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैशन शो स्टेज स्थान पर नई रेड/ग्रीन मेटिंग कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए लगानी होगी। जिसकी राशि निविदा मे शामिल है। अलग से इसकी कोई राशि देय नहीं होगी।
5. सभी स्टॉलो को वाटर प्रुफ करना होगा।
6. प्रत्यक्ष प्रदर्शन हेतू आवश्यकतानुसार कुर्सी, टेबिल मय सफेद कवर एवं फिल देनी होगी, जिसका किराया इसी में शामिल है।

II बिजली कार्य मय विद्युत कनेक्शन व विद्युत व्यय :–

1. खादी प्रदर्शनी स्थल पर अध्यक्ष, खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार लाईट की व्यवस्था करनी होगी। विद्युत वितरण निगम लि. (विद्युत मण्डल) से कनेक्शन लेने, पोल से मीटर तक लाईन लेकर सभी स्टॉलो, अन्य अकिंत स्थानों पर जहां भी लाईट आवश्यक है लाईन डालने का दायित्व निविदादाता का होगा एवं दिनांक 30.11.22 दोपहर 3.00 बजे तक चालू करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी और उसका निर्धारित शुल्क, फीस, समस्त प्रकार के कर निविदादाता द्वारा प्रदत्त निविदा प्रस्ताव दर में सम्मिलित होगी। विद्युत बोर्ड के बिलो अनुसार विद्युत व्यय राशि का भुगतान खादी प्रदर्शनी समिति द्वारा प्रथक से देय होगा एवं प्रदर्शनी स्थल पर 125 केवी लोड का जनरेटर मय डीजल के साथ रखना होगा जो लोड मेन्टैनेन्स हेतु आवश्यकतानुसार चालू करने और बंद करने दायित्व निविदादाता का होगा एवं लोड बैलेस हेतु जनरेटर उपयोग आवश्यक है, इस हेतु कोई अतिरिक्त किराया एवं डीजल व्यय इत्यादि देय नही होगी। विद्युत मण्डल के 'ए'' क्लास ठेकेदार का प्रमाण–पत्र व इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर की बडी प्रदर्शनियो में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा तथा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का प्रमाण–पत्र सलंग्न करना आवश्यक होगा। अनुमानित आवश्यकता निम्नानुसार होगी :–
   1. प्रत्येक स्टॉल में दो LED 12 WT एंव नाईट में (CFL/ LED 7wt.) जो रात में चालू रहेगीं।
   2. CFL/ LED लाईट – 20 वाट नग 150 मय पोल फिक्चर आदि के।
   3. मैटेलिक सफेद लाईट – 50 नग (400 वाट) मय पोल व फिक्चर के
2. डेकोरेशन लाईट :–
   (1) बाउल गोल एल.ई.डी बल्ब – 40 नग,
   (2) निवार पट्टी – 50 नग (10 फीट/12 फीट)
   (3) मैन बोर्ड – 3 नग
   (4) थ्री फेस लाईनें – लगभग 20 नग
   (5) सर्किट बोर्ड – 5 नग
   (6) झाड़ एक बड़ा तथा 2 मध्यम साईज के
   (7) रनिंग सर्किट – 15 नग
   (8) पावर प्लग पाइट – 10 नग
   (9) थ्री पीन पोईन्ट – 260 (प्रत्येक दुकान में एक पोईन्ट लगाना होगा)
   (10) जनरेटर सेट (खादी प्रदर्शनी स्थल पर खादी प्रदर्शनी अवधि तक) इसका पृथक से किराया एवं उपयोग लिये गये डीजल की राशि देय नही होगा।
   अ. 125 किलोवाट – 1 नग ई.पी.

उपरोक्त आवश्यकतानुसार अनुरूप दी गई व उल्लेखित वोल्टेज निर्धारित कुल किलोवाट का नियमानुसार विद्युत लाईन जयपुर विद्युत. वितरण निगम से कनेक्शन निविदादाता द्वारा लेना होगा तथा विद्युत निगम से विद्युत की सप्लाई नहीं होने की स्थिति में तुरन्त जनरेटर से विद्युत की सप्लाई देनी होगी जिसके लिए उपयुक्त उल्लेखित किलोवाट के जनरेटर्स खादी प्रदर्शनी स्थल पर रखने होंगे। अतिरिक्त पृथक किराया एवं डीजल व्यय इत्यादि किसी प्रकार का व्यय देय नही होगा। विद्युत लाईनों का कोई भी तार खुला नहीं होकर प्लास्टिक कोटेड हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जावें। विद्युत लाईनें खादी प्रदर्शनी स्थल पर सुरक्षित ढंग से लगाई जावेगी। किसी भी प्रकार की विद्युत सम्बंधी दुर्घटना/जान माल हानि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सुरक्षा एवं संरक्षा की व्यवस्था निविदादाता द्वारा की जानी होगी।

3. स्टॉलधारियों द्वारा पृथक से ट्यूब लाईट, बल्ब, हैलोजन्स, पावर पांइट आदि की मांग किये जाने आयोजन समिति की अनुशंषा पर निविदादाता को निःशुल्क लगानी होगी।
4. खादी प्रदर्शनी का समय प्रातः 11:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक रहेगा। जो मांग पर 30 मिनट बढाया जा सकता है तथा इसके बाद रात्रि में तथा दिन में भी डोम/टेन्ट आवश्यकतानुसार विद्युत की सप्लाई 24 घंटे चालू रखनी होगी। जिसका पृथक से कोई प्रभार देय नहीं होगा। खादी प्रदर्शनी स्थल पर समस्त लाईट रोशनी सांय 4:30 बजे से जलानी होगी तथा कम वोल्टेज की विद्युत सप्लाई स्वीकार्य नहीं होगी।
5. प्रदर्शनी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले बिजली चलित होर्डिंग लगाने एंव चालू करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. खादी प्रदर्शनी अवधि के दौरान स्थल पर पूर्ण कार्य अवधि हेतु प्रतिदिन पूरे समय (24 घन्टे) दो कुशल प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन एवं टैन्ट डोम एवं अन्य व्यवस्थार्थ निविदादाता का प्रतिनिधी उपलब्ध कराने होंगे जिसका अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
7. खादी प्रदर्शनी समिति द्वारा कोई अतिरिक्त डेकोरेशन/विद्युत संचालित अन्य कोई सामान उपलब्ध कराया जावेगा तो उसे भी चालू करना होगा। जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा।
8. विद्युत लाईनों का कोई भी तार पुराना नहीं होगा चाहिए।
9. फूडजोन के लिए 10 ट्यूब लाईट(40 वाट प्रत्येक), 5 बल्ब(100 वाट प्रत्येक) व 2 पावर पाईटं निःशुल्क उपलब्ध करवाने होंगे। स्टॉफ पार्किग में लाईट की आवश्यकतानुसार पूर्ण व्यवस्था करनी होगी।
10. विद्युत लाईन डालने व खादी ग्रामो. प्रदर्शनी के दौरान निविदादाता के कर्मचारियों/स्टॉल धारकों के साथ कोई करंट लगने आदि किसी भी प्रकार से दुर्घटना आदि व उससे कारित सभी प्रकार की जानमाल तथा वित्तीय हानि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी और इससे खादी प्रदर्शनी आयोजन समिति के कर्मचारी अथवा अधिकारियों की **कोई जिम्मेदारी नही होगी।**
11. एम्यूजमेंट पार्क में बिजली चलित झूलों के लिये पावर पॉइन्ट की व्यवस्था करनी होगी।
12. ऑफिस एवं स्वागत कक्ष मे कम्प्यूटर हेतु पावर पाइंट व मोबाईल चार्ज करने हेतु प्रत्येक स्टॉल में पॉईट देने होंगे। जिसमें 24 घण्टे बिजली देनी होगी।

III उदघाटन व समापन समारोह :–

1. टैन्ट संबंधी कार्य में बिन्दु क्रंमाक ब के अनुसार खादी प्रदर्शनी के उदघाटन, समापन समारोह, फैशन शो व सांस्कृतिक संध्या एवं अन्य कार्यक्रमो के समय टैन्ट, विद्युत, आतिथ्य सत्कार इत्यादि की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी एवं **रात्रि कालीन स्टॉफ हेतु तीन बिस्तर, रजाई+कम्बल, साफ चादर एवं तकिया का सेट कम्पलिट दिनांक 30.11.22 से उपलब्ध करवाना होगा। अतिथी कक्ष एवं कार्यालय प्लाई अथवा टिन से कवर होगा।**
2. उदघाटन के समय वी.आई.पी. अतिथियों के लिए 50 व्यक्तियों के जलपान की व्यवस्था एवं स्टांलधारियों व अतिथियों सहित 400 (चार सौ) व्यक्तियों हेतु जलपान की व्यवस्था खादी प्रदर्शनी समिति – 2022–23 के निर्देशानुसार करनी होगी।

3. खादी प्रदर्शनी समापन के समय वी.आई.पी. अतिथियों के लिए 50 व्यक्तियों के जलपान की व्यवस्था व स्टॉल धरियों के लिए 400 (चार सौ) खाने के पैकेट अध्यक्ष, खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार करवाने होंगे।

4. उद्‌घाटन व समापन समारोह के बैनर एवं मंच का बैकड्रॉप मय लोहे के फ्रेम मय इन्सटालेशन आवश्यक साईज मे, रंगोली, फूल माल, गुल दस्ते की व्यवस्था, एंकर व्यवस्था खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार करनी होगी।

5. **उद्‌घाटन व समापन समारोह हेतु 500–500 आमंत्रण पत्र** खादी प्रदर्शनी समिति द्वारा अनुमोदित डिजाईन एवं निर्देशानुसार (प्रिन्ट) तैयार करवाकर वितरण करवाना होगा।

IV शील्ड ट्राफी इत्यादि तैयार करवाना :–

1. खादी प्रदर्शनी उद्‌घाटन के समय वी.आई.पी. को अच्छी क्वालिटी के शील्डें, सम्मान हेतु खादी शॉल आदि प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार उपलब्ध करवानी होगीं।

2. खादी प्रदर्शनी के उद्‌घाटन व समापन समारोह के समय वी.आई.पी. 12 शील्ड, श्रेष्ठ बिक्रीकर्ताओ के लिए 16 शील्डें, समस्त स्टॉल के लिये प्रमाण पत्र, खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार शील्डें एंव ट्राफी आदि उपलब्ध करवानी होगी।

V अन्य कार्य : माईक व्यवस्था, एंकर, पानी व्यवस्था (पेयजल) सभी स्टॉलधारकों एवं आगन्तुकों हेतु ,सजावट, सफाई व्यवस्था, गमले व फ्लावर डेकोरेशन :– **(Annexure :- A)**

1. **माईक व्यवस्था :–** मय बैटरी एंव आपरेटर के पूर्ण अवधि के लिए खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार मय सी.डी. के बजाने के साथ ध्वनि प्रसारण यंत्रों व तंत्र तथा अनुभवी उद्‌घोषक के साथ खादी प्रदर्शनी स्थल पर करनी होगी एंव उद्घाटन समापन समारोह एंव विशेष समारोह पर तीन माईक, दो हेण्ड माईक मय की व्यवस्था सहित कैसेट रिकार्डिगं का कार्य भी करना होगा और भरे हुए सी.डी. भी बिना शुल्क खादी प्रदर्शनी समिति को सुपुर्द करने होंगे। माईक, बेट्ररी, एम्पलीफायर, स्पीकर्स अति उत्तम क्वालिटी के खादी प्रदर्शनी समिति की संतुष्टि अनुसार लगाने होंगे। फैशन शों एवं अन्य सांस्कृतिक एवं राजस्थानी कार्यक्रम के आयोजना के अवसरों पर आवश्यकतानुसार पूर्ण लाईट, माईक, स्टेज डायस कुर्सियां इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। क्वालिटी बाबत खादी प्रदर्शनी समिति का निर्णय मान्य होगा।

2. **अग्निशमन यंत्र :–** आई.एस.मार्का/आई.एस.ओ. तय मापदण्ड के अनुसार 40 नग मय भरे जाने वाले रासायनिक पदार्थो सहित तथा टांकने की उचित व्यवस्था सहित। खादी प्रदर्शनी स्थल पर उपलब्ध रखने होगें।

3. पानी व्यवस्था :– **खादी प्रदर्शनी स्थल पर स्टॉलधारकों, आगन्तुकों, कर्मचारियों हेतु पीने योग्य पानी/कैम्पर की व्यवस्था खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार करनी होगी। प्रदर्शनी मे भाग लेने वाली प्रत्येक संस्था/समिति एवं ईकाईवार एक 15 लीटर तक पानी कैम्पर प्रतिदिन पेयजल हेतु उपलब्ध करवाना होगा, जिसका पृथक से अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा। सभी स्टॉल धारको को प्रतिदिन कैम्पर उपलब्ध करवाने एवं अगले दिन कैम्पर वापस लौटाये जाने पर ही दूसरा भरा हुआ कैम्पर उपलब्ध करवाने हेतु एक सॅप्लाई कॉर्ड का उपयोग किया जावेगा जो निविदादाता द्वारा बनवाया जावेगा इस हेतु अलग से कोई राशि निविदादाता को देय नही होगी।**

4. **पेपर डेकोरेशन :–** खादी प्रदर्शनी की गैलेरियोज एवं स्टेज पाण्डाल पेपर डेकोरेशन का कार्य खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार करनी होगी। (लम्बाई एवं चौडाई में एक फुट का गेप होगा)

5. **सफाई व्यवस्था :–** खादी प्रदर्शनी स्थल कार्यालय, मंच स्थाई/एक अस्थाई टॉयलेट, (कार्यालय) डस्टबीन बोक्स आदि की पूर्ण सफाई दैनिक रूप से निरन्तर नियमित रूप से करनी होगी। खादी प्रदर्शनी समय मे सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना होगा। खादी प्रदर्शनी स्थल मे प्रतिदिन दो/तीन बार सफाई करना अनिवार्य होगा। खादी प्रदर्शनी स्थल पर प्रातः 10:00 से रात्रि 09:00 बजें तक प्रतिदिन न्यूनतम 4 सफाई कर्मचारी मय सफाई के सामान तथा चूना, कली, फिनाईल, नैफथलीन गोलिया, क्लिनिंग पावउडर आदि सहित मौजूद रहेंगे। खादी प्रदर्शनी के उद्घाटन दिवस से समाप्ति दिवस के उपरान्त तक उठाने का सफाई करने का दायित्व निविदादाता का होगा। खादी प्रदर्शनी स्थल पर कहीं भी गंदगी किसी भी समय नहीं पायी जावेगी। अन्यथा खादी प्रदर्शनी समिति अपने निर्णयानुसार सेवा में कमी के अनुरूप टेण्डर निरस्त करने भुगतान मे से वांछित राशि कटौती के लिए स्वंतत्र होगा। खादी प्रदर्शनी स्थल का कचरा

खादी प्रदर्शनी स्थल परिसर में नहीं रहेगा। अतिविशिष्ट व्यक्ति के आने पर द्वार पर रंगोली एंव अन्य सजावट करनी होगी।

6. **शौचालय व्यवस्था** :– खादी प्रदर्शनी स्थल पर स्टॉलधारकों, आगन्तुकों, कर्मचारियों हेतु मूत्रालय, शौचालय, स्नानघर की व्यवस्था खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार निविदादाता को करनी होगी। जिसका पृथक से कोई अतिरिक्त चार्ज देय नही है।

7. फ्रेश फ्लावर डेकोरेशन :–

   1. उद्घाटन व अन्य समारोह एंव समापन समारोह में स्टेज, मुख्य द्वार तथा स्टेज, थीम पवेलियन पर खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार हजारे की मालाओं, मोगरें/गुलदाउदी, आसापाला के पत्तों से प्रत्येक की करीब ढाई हजार फीट कलात्मक तीन लटकन तीन कलर में सजावट। खादी प्रदर्शनी अवधि में खादी प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार गणमान्य अतिथियों के साथ स्वागतार्थ बुके व फूलमाला आदि की व्यवस्था भी करनी होगी।
   2. उद्घाटन समापन समारोह में आवश्यकतानुसार गुलाब की मोटी फूल मालाये, बुके, मोगरे एवं गजरे की फूलमाला, फूलों के टेबिल गुलदस्तें एवं खादी प्रदर्शनी अवधि में न्यूनतम दस बार वी.आई.पी. अतिथि के आने पर खादी प्रदर्शनी समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गुलाब की 30 मालायें व 15 बुकें बढिया क्वालिटी के फ्लावर से बने भी आवश्यकतानुसार सप्लाई करने होंगे।
   3. समय समय पर वी.आई.पी. अतिथि आने पर उनके स्वागत हेतु गुल दस्ते व फूल मालाऐं उपलब्ध करवानी होगी।
   4. आवश्यकतानुसार स्टेज के सामने, स्टॉलो के सामने, रास्ते में फूल पौधे सभी बडी साईज में 250 गमले भी उपलब्ध करवाने होंगे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी पडेगी।

VI सुरक्षा गार्ड व्यवस्था :–

खादी प्रदर्शनी प्रारम्भ से अंत तक 3 साल से अधिक अनुभवी एजेन्सी से 9 युवा स्वस्थ गार्ड वर्दीधारी, 3 युवा स्वस्थ महिला गार्ड की व्यवस्था करनी होगी। पारी अनुसार सख्या का निर्धारण खादी प्रदर्शनी समिति उत्सव के निर्देशानुसार होगा। सुरक्षा गार्डस की सख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकेगी। फर्म के 3 वर्ष के कार्य का अनुभव एंव दस्तावेज संलग्न करें। स्टॉफ पार्किंग हेतु पृथक से 2 गार्डो की व्यवस्था करनी होगी।

VII गांधी थीम सहित गांधी जी की प्रतिमा एवं चरखा सहित पृथक से पैवेलियन सुसज्जित डेकोरेशन के साथ निर्माण करना होगा, गांधी थीम वाले पैवेलियन मे आकर्षक लाइटिग करना है।

VIII सेल्फी उच्च क्वालिटी की बूथ का निर्माण प्रदर्शनी समिति के निर्देशानुसार करना होगा। सेल्फी बूथ हेतु तीन दीवार खडी करनी होगी जिस पर तीन अलग–अलग प्रकार डिजाईन यथा राजस्थान स्थापथ्य कला के फोटोज, राजस्थान ग्रामीण परिवेश के फोटोज एवं मार्डन जयपुर की फोटोज का डिजाईन बनवाकर, 4 इंच ऊँचा प्लेटफार्म बनाया जाना है।

शास्तियॉ

1. कार्य निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा पूर्ण करना होगा। विलम्ब की स्थिति मे होने वाले प्रतिदिन विलम्ब के लिए निविदा राशि का पॉच प्रतिशत क्षति देय होगी।
2. प्रदर्शनी स्थल पर व्यवस्था के सम्बंध मे किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण, निर्देशो के 02 घंटे की समायावधि मे निस्तारित करना होगा। विलम्ब की स्थिति मे प्रतिघंटा 1000 रू के रूप में काटा जावेगा।
3. सामान/सेवा निर्धारित एंव निर्दिष्ट समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति मे सभी हर्जे खर्चे, लिक्वीडेटेड डेमेजेस तथा अन्य स्त्रोतो उस सामान सेवा आपूर्ति पर लगने वाला, व्यय हर्जा – खर्चा निविदादाता से वसूल किया जावेगा व उसके हिसाब से सीधा ही खादी प्रदर्शनी समिति द्वारा इस प्रकार की राशि काट ली जावेगी।

सचिव
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

Annexure-B

निविदादाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र
(100/– के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि फर्म को किसी भी अन्य राज्य में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा मेरे हमारे द्वारा दी गई सूचना तथ्य, प्रमाण–पत्र या विवरण आदि अनुबंध अवधि के दौरान झूठी या अपूर्ण पाई जाये, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....
पूर्ण पता ....
मोहर. ....
दूरभाष/मोबाईल न. ....

Annexure-C

निविदादाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र
(100/– के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि फर्म द्वारा राजस्थान राज्य एवं अन्य राज्यों के आयोजनो के संबंध मे लगाये गये समस्त आपूर्ति आदेशों की प्रतियॉ सत्य है

यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा भविष्य में सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा ऑडिट में अन्यथा पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पूर्ण पता ....

मोहर. ....

दूरभाष/मोबाईल न. ....